

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

for

THE PROPOSED 7.0 MTPA BAILADILA IRON ORE MINE DEPOSIT NO.4
AT BHANSI, NEAR BACHELI, SOUTH BASTAR DANTEWADA DISTRICT,
CHHATTISGARH

EXECUTIVE SUMMARY

Sponsor:



NMDC Limited
Hyderabad

Prepared by :



Vimta Labs Ltd. 142 IDA, Phase-II, Cherlapally Hyderabad-500 051
env@vimta.com, www.vimta.com

April, 2015



भांसी, बचेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशायी सारांश

1.0 प्रस्तावना

एनएमडीसी लिमिटेड जो एक नवरत्न कंपनी है और इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार का उद्यम है, सन् 1968 से बैलाडीला पर्वत श्रृंखलों में लौह अयस्क खनन परियोजनाओं का प्रचालन कर रही है। बैलाडीला खानों से उत्पादित लौह अयस्क से छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य से बाहर के प्रदेशों में सरकारी तथा निजी प्रमुख इस्पात संयंत्रों के साथ-साथ कई पेलेट / स्पंज लौह अयस्क संयंत्रों के लिए अपेक्षित लौह अयस्क की पूर्ति हो रही है। एनएमडीसी लिमिटेड का बचेली, के समीप भांसी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला, छत्तीसगढ़ में 7.0 एमटीपीए उत्पादन क्षमता के साथ बैलाडीला निक्षेप सं.4 में लौह अयस्क खनन करने का प्रस्ताव है। खान पट्टा क्षेत्र 646.596 हे. है जो बैलाडीला आरक्षित वन भूमि, बचेली वन रैंज, दंतेवाड़ा वन मंडल, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। उक्त लौह अयस्क खान परियोजना नगरनार, बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन एनएमडीसी के 3.0 एमटीपीए क्षमता वाले एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए अपेक्षित लौह अयस्क की पूर्ति के लिए विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त इस्पात संयंत्र के लिए 5 एमटीपीए लौह अयस्क की आवश्यकता होगी। निरंतर तथा आश्वस्त कच्ची सामग्री अर्थात् लौह अयस्क की पूर्ति को बनाए रखने के लिए बैलाडीला निक्षेप सं.4 की लौह अयस्क खान परियोजना के विकास की अत्यंत आवश्यकता है। नगरनार में निर्माणाधीन इस्पात संयंत्र की अपेक्षा की पूर्ति के बाद बची हुई लौह अयस्क की मात्रा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित घरेलू ग्राहकों को बेची जाएगी।

1.1 परियोजना का आकार

उक्त परियोजना लौह अयस्क खान निक्षेप-4 0.7एमटीपीए उत्पादन क्षमता के साथ 646.596हे. में फैला हुआ है। भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली पत्र दिनांक 30/11/2011 एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, खनिज संसाधन विभाग, रायपुर के दिनांक 13/01/2012 के जरिए बैलाडीला आरक्षित वन, निक्षेप-4, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य में 646.596हे. के क्षेत्र में लौह अयस्क के लिए खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 5(1) के अंतर्गत 20 वर्ष की अवधि के लिए एनएमडीसी के पक्ष में केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन सूचित किया गया है। खान पट्टा क्षेत्र के अलावा 95.13हे. की वन भूमि आधारभूत संरचना के विकास जैसे डाउन हिल कन्वेयर, छनन संयंत्र, लदान संयंत्र और पहुँच मार्ग आदि के विकास के लिए पहचानी गई है। कुल 741.726हे. वन भूमि के परिवर्तन(डायवर्सन) प्राप्त करने के लिए वन स्वीकृति आवेदन नोडल अधिकारी, वन विभाग, रायपुर द्वारा पंजीकृत किया गया है और पंजीकृत संख्या :2013/35 आर्बटि की गई है। आगे, रेल्वे भंडार कक्ष की संस्थापना, प्रशासनिक भवन, लदान संयंत्र(भाग), टेलिंग डैम, एसटीपी एवं उपनगर आदि के लिए 50हे.की गैर-वन भूमि भी आवश्यकता है। प्रस्तावित निक्षेप-4 लौह अयस्क खान को स्टैंडएलोन परियोजना के रूप में रु.1899.74 करोड़ निवेश के साथ संयुक्त वेंचर कंपनी अर्थात् एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड(एनसीएल) के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। सीएमडीसी लिमिटेड छत्तीसगढ़ सरकार की उपक्रम कंपनी है और इसकी 49% की साम्यांशता है जबकि एनएमडीसी की एनसीएल कंपनी में 51% की साम्यांशता है।



भांसी, बचेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशायी सारांश

1.2 परियोजना स्थान

परियोजना स्थल बचेली के समीप भांसी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला पर्वत श्रेणियों में बचेली के पास स्थित है। प्रस्तावित खान स्थल दंतेवाड़ा से लगभग 22.0 कि.मी.की दूरी पर है। स्थल तक पहुँचना आसान है और रायपुर, विशाखपट्टणम तथा हैदराबाद शहरों से सभी मौसमों में सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। उक्त स्थल रायपुर से सड़क मार्ग में लगभग 410कि.मी. की दूरी पर है।

प्रस्तावित निक्षेप-4 खान स्थल का अध्ययन क्षेत्र मानचित्र(10कि.मी. की त्रिज्या में) चित्र-1 में दिया गया है।

1.3 खनन योजना अनुमोदन

प्रगतिशील खान बंद योजना के साथ 0.7एमटीपीए की उत्पादन क्षमता के लिए खान योजना भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा उनके पत्रांक: सं. 314(3)/2012-एमसीसीएम(सीजेड)/एमपी-19, दिनांक 26.07.2013 के जरिए अनुमोदित की गई है।

1.4 प्रस्तावित परियोजना स्थल की पर्यावरणीय व्यवस्था

प्रस्तावित निक्षेप-4 खान परियोजना की पर्यावरणीय व्यवस्था सारणी-1 में दी गई है :-

सारणी-1

निक्षेप-4 खान की पर्यावरणीय व्यवस्था(10कि.मी. की त्रिज्या में)

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1	खान पट्टा क्षेत्र	646.596 हे.
2	स्थान	भांसी, बचेली के समीप,दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला, छत्तीसगढ़
3	टोपोशीट संख्या	E44J1 (65F/1) - कोर जोन E44J2, E44J6, (65 F/2, F/6) -बफर जोन
4	भौगोलिक व भू-वैज्ञानिक सीमाएं	
	अक्षांश	18° 41' 27.7" N to 18° 43' 45.7" N
	रेखांश	81° 11' 57.7" E to 81° 13' 10.8" E
5	भूमि की वर्तमान स्थिति	वन भूमि के अंतर्गत लौह अयस्क धारक क्षेत्र
6	समुद्र सतह से ऊपर	पर्वतीय एवं खुरदरा क्षेत्र, 1200मी. समुद्र सतह से ऊपर
7	खान पट्टा क्षेत्र से खानों की दूरी	प्रचालन में एनएमडीसी की खान पट्टे : <ul style="list-style-type: none">• निक्षेप-5, 1-कि.मी., द.प.• निक्षेप-10,0.5कि.मी., पू.• निक्षेप-11सी, 5.3 कि.मी. ददपू• निक्षेप-14, 7.8कि.मी.,ददपू
8	निकटतम राजमार्ग (in km)	एनएच-16(29-कि.मी.,उ.)-गीदम के पास एसएच-5(4-कि.मी.,पूर्व.)
9	निकटतम शहर	दंतेवाड़ा(22.5कि.मी.उपू)




भांसी, बघेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशाली सारांश

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
		बघेली(2.5कि.मी.पूर्व)
10	निकटतम रेल्वे स्टेशन	भांसी(7.5कि.मी.उउपू) बघेली(2.5कि.मी.पूर्व)
11	निकटतम वायुपत्तन	<ul style="list-style-type: none">गैर-वाणिज्यक एअरस्ट्रिप : जगदलपुर - सडक मार्ग से 110कि.मी.रायपुर(सडक मार्ग से 410कि.मी.)
12	दर्शनीय स्थल	15 कि.मी. की त्रिज्या में कोई नहीं
13	पुरातत्वशास्त्रीय महत्वपूर्ण स्थल	10 कि.मी. की त्रिज्या में कोई नहीं
14	वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम,1972 के अनुसार संरक्षित क्षेत्र (जैव मंडल, बाघ रिजर्व, वन्यप्राणी अभयारण्य, प्राकृतिक उद्यान, सामुदायिक रिजर्व एवं संरक्षण रिजर्व)	10 कि.मी. की त्रिज्या में कोई नहीं
15	खान पट्टा परिसीमा से 10कि.मी. की त्रिज्या के अंदर आरक्षित वन	<ul style="list-style-type: none">खान पट्टा क्षेत्र बैलाडीला आरक्षित वन के अंतर्गत हैबीजापुर आरएफ (1.1 km, W)
16	नदियां /झील	शंकिनो नदी (4.2-कि.मी. पू.) कोयर नदी (6.9-कि.मी. पूदपू)
17	15 कि.मी. की त्रिज्या में उद्योग	<ul style="list-style-type: none">एस्सार पेलेंटैजेशन प्लांट, किरन्दुल, 8.6कि.मी. ददपू
18	भूकंपीय जोन	आईएस-1893(भाग-1)-2002 के अनुसार भूकंपनीय जोन-II



भांसी, बघेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
अधिशायी सारांश



चित्र-1
10कि.मी. की त्रिज्या में अध्ययन क्षेत्र मानचित्र



भांसी, बघेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशायी सारांश

2.0 परियोजना विवरण

2.1 परियोजना के महत्वपूर्ण लक्षण

प्रस्तावित खान परियोजना निक्षेप-4 के महत्वपूर्ण लक्षण सारणी-2 में दिए गए हैं:

सारणी-2
लौह अयस्क खान-निक्षेप-4 के महत्वपूर्ण लक्षण

क्रमांक	ब्यौरा	विवरण
1	खान पट्टा क्षेत्र	646.596 ha
2	खनन की पद्धति	पूर्ण यंत्रिकृत खुली खदान
3	क्षमता दर	7.0एमटीपीए लौह अयस्क उत्पादन
4	खान की प्रत्याशित जीवन	21 साल
5	पहले पांच साल में उत्पादन	2.0एमटीपीए
6	औसत स्ट्रिपिंग अनुपात, लौह अयस्क ओवर बर्डन	1:0.468
7	खननयोग्य निक्षेप	107.59एमटी
8	औसत कार्य दिवस	300
9	पालियों की संख्या	3 पाली
10	कार्य घंटे	8 घंटा प्रति पाली
11	बेंच की ऊंचाई	12 मी.
12	ओवर बर्डन, आंतरिक अपशिष्ट तथा स्ट्रिपिंग अपशिष्ट	50.40 एमटी
13	चरम गर्त ढलान	45°
14	बिजली की आवश्यकता	6 एमवीए
15	पानी की आवश्यकता	शीत ऋतु और गरम ऋतु में क्रमशः 14500 घनमीटर प्रति दिन(लगभग) और 4500 घनमीटर प्रति दिन(लगभग)। शंकिनी नाला और नेरली नाला पानी के स्रोत के रूप में पहचाने गए।
16	मेनपावर	उत्पादन के दौरान 700
17	परियोजना लागत	रु.1899.74 करोड़

2.2 खनिज संसाधन

18वें बेंच या 996एमआरएल तक कुल 107.59 मिलियन टन के खनिज निक्षेप आकलित किए गए हैं। खननयोग्य अपशिष्ट 50.40 मिलियन टन होगी।



भांसी, बघेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशायी सारांश

2.3 खनन की पद्धति

प्रस्तावित कैपिटिव खान परियोजना 7.0एमटीपीए क्षमता के साथ पूर्ण यंत्रिकृत खुली खदान परियोजना है। शावेल डम्पर संयोग खनन प्रौद्योगिकी के साथ परंपरागत खनन प्रणाली अपनाई जाएगी। प्रचालनों का क्रम खान बेंचों का विकास, ड्रिलिंग, ब्लॉस्टिंग, उत्खनन, लदान, दलन, छनन, ढेर करना तथा परिवहन होगा। ड्रिलिंग तथा ब्लॉस्टिंग के साथ 12मी. बेंच ऊंचाई के साथ खान प्रचालन होगी। पत्थर खंडन के लिए गहरी-छेद ड्रिलिंग एवं ब्लॉस्टिंग तकनीक अपनाई जाएगी। शवेल-डम्पर जोड़ का नियोजन खान से लौह अयस्क के उत्खनन एवं दलन संयंत्र तक परिवहन के लिए किया जाएगा।

2.4 खान का विकास

निक्षेप विकास के लिए भांसी से निक्षेप तक वर्तमान में मौजूद सड़का का उपयोग किया जाएगा। आगे, निक्षेप के उत्तर ब्लॉक में शिखर स्तर पर 1128 एमआरएल से 1200 एमआरएल तक सड़क विकसित की जाएगी।

2.5 खनन मशीनरी

- खनन उपकरणों का विवरण

खनन योजना अवधि के पांच वर्षों के दौरान प्रस्तावित खनन मशीनरियों का विवरण सारणी-3 में दिया गया है :

सारणी-3

खनन योजना अवधि के पांच वर्षों के दौरान
प्रस्तावित खनन मशीनरियों का विवरण

क्रमांक	उपकरण विवरण	क्षमता	आवश्यकता
1	ब्लॉस्ट होल ड्रिल्स (मल्टी पास)	150 mm dia	4
2	क्रॉलर ड्रिल्स	100 mm dia	2
3	डीजल- हैड्रालिक शावेल/बैंक होल	4.0 cum	5
4	डम्पर्स	50 T	12
5	फ्रंट एंड लोडर्स	4 cum	2
6	क्रॉवेल डोजर	410 HP	2
7	मोटर ग्रेडर	280 HP	1
8	वॉटर स्पिंकलर	28 KI	2

Source: Mine Plan



भांसी, बचेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशाली सारांश

2.6 पुनरुद्धार एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम

- खनित क्षेत्रों का जैविक पुनरुद्धार

खनित क्षेत्रों की पुनः भराई 15वें वर्ष से प्रारंभ होगी। सीएस-49 से सीएस-57 के बीच गठित गर्त जो 1080 एमआरएल की सबसे नीचे की बेंच है, को 1032 एमआरएल तक और सीएस-46 से सीएस-48 के बीच गठित गर्त के दूसरे क्षेत्र जो 1032 एमआरएल की सबसे नीचे की बेंच है, को 1080 एमआरएल तक सामान्य खनन प्रचालनों के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट पत्थरों से भराई की जाएगी। कुल पुनः भरा गया क्षेत्र लगभग 17.81 हे. होगा। बेंच फ्लोर्स तथा बेंच ढलानों पर क्रमशः छत वृक्षारोपण तथा ढलान वृक्षारोपण किया जाएगा।

पुनरुद्धार की प्रक्रिया नीचे दी गई है :

मृदा बंधकी प्रजातियां जैसे अगावा सिसिलाना(सीसल), डेंड्रोकालामस स्ट्रैक्टस(कांटा बांबू) आदि के द्वारा ढलानों को स्थिरीकृत किया जाएगा। अलबीजिया लेबेक(सिरीस), ए. नीलोटिका(बबूल), ए.कैटेचू(खैर), ए.ऑरीकॉलीफोर्मिस (अकासिया), एंब्लिका ओफिसिनैस(आमला), पोंगामिया पिन्नाटा(करंजी) जैसी प्रजातियों को टेरेसेस छत पर पौधारोपित किया जाएगा। मुख्यतः छोटे-छोटे पौधे, औषधीय वृक्ष एवं क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाने वाले पौधे लगाए जाएंगे।

अपशिष्ट ढेर एवं उनका पुनरुद्धार

उत्खनित सामग्री को निक्षेप की दक्षिण पूर्व की ओर सीएस-45 एवं सीएस-46 के बीच स्थित अपशिष्ट ढेर सं.1 के पास ढेर किया जाएगा। खनन प्रचालनों के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट को ढेर करने के लिए 1188 एमआरएल से 1140 एमआरएल तक खान सड़क तैयार की जाएगी। निक्षेप की उत्तर पश्चिम की ओर सीएस-55 एवं सीएस-56 के बीच अपशिष्ट ढेर सं.2 तैयार किया जाएगा। विकास गतिविधियों के दौरान उत्पन्न अयस्क को सीएस-56 एवं सीएस-48 के बीच 1128 एमआरएल के पास स्थित अस्थाई स्टॉक पाइल में ढेर किया जाएगा। बेंचेंस को 5 मी. की कम से कम चौड़ाई के साथ छत जैसा बनाया जाएगा ताकि कुल मिलाकर 28° से कम वाले ढलान कोण बनाया रख सकता है। भू-क्षरण एवं सतही बहाव को रोकने के लिए समुचित स्थानीय प्रजातियों के साथ वैज्ञानिक ढंग से ढेरों पर वानस्पति का विकास किया जाएगा।

2.7 भूमि उपयोग पद्धति - खान पट्टा क्षेत्र

खान पट्टा क्षेत्र की भूमि उपयोग पद्धति सारणी-4 में दी गई है।



भांसी, बघेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशायी सारांश

सारणी-4
खान पट्टा क्षेत्र की भूमि उपयोग पद्धति

क्र.सं	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हे. में)
1	पत्थरी क्षेत्र / अपशिष्ट भूमि	215
2	मृदा परत एवं प्राकृतिक वन के साथ ढलान	431
	कुल	646.596

2.8 अयस्क प्रॉसेसिंग पद्धति

अयस्क का 2000टीपीएच क्षमता की प्राइमरी क्रशर , 1200टीपीएच क्षमता की सेकेंडरी क्रशर में दलन किया जाएगा। क्रशिंग के पश्चात (-)100मि.मी. आकार के अयस्क को 6.9कि.मी. लंबी डाउन हिल कन्वेयर द्वारा स्क्रीनिंग प्लांट तक परिवहन किया जाएगा। स्क्रीनिंग प्लांट भवन के अंतर्गत 670टीपीएच की प्राइमरी स्क्रीन एवं 550टीपीएच की सेकेंडरी स्क्रीन के साथ-साथ 800 टीपीएच टेरशरी प्राइमरी स्क्रीन भी सम्मिलित है। (-)100मि.मी. आकार के अयस्क को (-)40मि.मी. (+)10मि.मी. आकार के कैलिबरेटेड लम्प ओर बनाने और (-)10मि.मी. आकार के चूर्ण अयस्क बनाने के लिए उसे दलन व छनन किया जाएगा। सामान्यतः स्क्रीनिंग प्लांट में ड्राई स्क्रीन प्रचालन किए जाएंगे जहां अयस्क विभिन्न आकारों में अलग किया जाएगी। केवल मानसून ऋतु में ही अयस्क की प्रवाह सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए वेट स्क्रीनिंग प्रचालन किए जाएंगे। इससे अयस्क के साथ लगे मलिन पदार्थ भी निकाले जा सकते हैं। स्क्रीनिंग प्लांट में वेट सर्किट प्रणाली के अंतर्गत क्लासिफायर्स, डी-वार्टरिंग स्क्रीन्स, हाइड्रो-साइक्लोन्स, थिकनर्स सम्मिलित हैं जिनके कारण प्रॉसेस पानी के साथ फाइन ओर निकाला जा सकता है। वेट स्क्रीनिंग प्रचालनों में उत्पन्न स्लाइम्स के संग्रहण के लिए टेलिंग डैम का निर्माण किया जाएगा। लदान प्रणाली भांसी रेल्वे स्टेशन पर विकसित की जाएगी। लम्प तथा फाइन ओर के भंडारण के लिए 3.5 लाख टन क्षमता की स्टॉकपाइल विकसित की जाएगी।

इस परियोजना में उत्पादन चरण के दौरान लगभग 700 लोग नियोजित किए जाएंगे।

3.0 आधार स्तर पर पर्यावरणीय स्थिति

प्राथमिक डाटा 1 दिसंबर 2014 से 28 फरवरी 2015 तक शीत ऋतु को सम्मिलित करते हुए और सेकेंडरी डाटा विभिन्न सरकारी, अर्ध-सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों से लिए गए डाटा के आधार पर तैयार की गई है :

3.1 भूमि उपयोग

10 कि.मी. की त्रिज्या में भूमि उपयोग पद्धति का अध्ययन जनगणना अभिलेखों में प्रकाशित सेकेंडरी डाटा के विश्लेषण द्वारा किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत लगभग 34319हे. की वन भूमि है जो अध्ययन के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्र का 80.46% है। 2001 जनगणना के भूमि उपयोग अभिलेखों के अनुसार 10 कि.मी. की त्रिज्या में कोई कृषि भूमि नहीं है , अ-सिंचित कृषि योग्य भूमि 5264हे. है जो कुल



भांसी, बचेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशायी सारांश

अध्ययन क्षेत्र का लगभग 12.34% है, सिंचाईयोग्य अपशिष्ट भूमि 1572हे. है जो जो कुल अध्ययन क्षेत्र का लगभग 3.69% है और सिंचाई के लिए अनुपलब्ध भूमि 1000हे. है जो कुल अध्ययन क्षेत्र का लगभग 2.34% है।

3.2 मृदा की गुणवत्ता

क्षेत्र की मृदा की गुणवत्ता के आकलन के लिए खान पट्टा क्षेत्र व इसके आसपास में आठ मृदा नमूने एकत्रित किए गए। मृदा की पीएच उल्लेख करती है कि मृदा अपनी प्रकृति में “मध्यस्थ” है। मृदा में नाइट्रोजन की सांद्रता से सिद्ध होता है कि मृदा “कम” से “पर्याप्त से अधिक” श्रेणी में है, इसी प्रकार मृदा में फास्फरस की सांद्रता से सिद्ध होता है कि मृदा “बहुत मध्यम” से “पर्याप्त” श्रेणी में है, मृदा में पोटाशियम की सांद्रताएं “कम” से “अच्छी” श्रेणी में पाई गई हैं।

परिणामों के आधार पर, यह सिद्ध हुआ है कि मृदा में कोई प्रदूषक तत्व नहीं है।

3.3 मौसम विज्ञान

स्थल पर मौसम विज्ञान की डाटा दिसंबर 2014 से फरवरी 2015 तक शीत ऋतु को प्रतिनिधित्व करने वाली अवधि में विमता द्वारा अनुवीक्षित की गई है गए। पाया गया है कि अध्ययन अवधि के दौरान तापमान 7.0⁰से. से 27.4⁰से. के बीच है। अवलोकनों की इस अवधि के दौरान सापेक्षिक आर्द्रता 20.0% से 98.1% के बीच पाई गई। अध्ययन अवधि के दौरान कुल वर्षपात 4.3मि.मी. रिकार्ड की गई।

3.4 परिवेशी वायु गुणवत्ता

2014-2015 की शीत ऋतु के दौरान तीन महीनों के लिए सप्ताह में दो दिन की बारंबारिता के साथ 8 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण(एएक्यूएम) कार्य किया गया। इससे प्राप्त परिणामों से सिद्ध हुआ है कि परिवेशी वायु में पीएम10, पीएम2.5, एसओ₂, एनओ_{एक्स} एवं सीओ के सांद्रण ग्रामीण/आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता (एनएएक्यू) मानकों के अंदर ही है।

3.5 पानी की गुणवत्ता

क्षेत्र में पानी के भौतिक व रासायनिक प्राचलों के आकलन करने के लिए विमता द्वारा परियोजना स्थल के आसपास में उपलब्ध विभिन्न पानी के स्त्रतों से चार सतही और आठ भूमिगत पानी की नमूने एकत्रित की गई। परिणाम उल्लेख करते हैं कि भू-गर्भ पानी सामान्यतः पेयजल मानक (आईएस:10500) की पुष्टि करते हैं।



भांसी, बघेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशायी सारांश

3.6 ध्वनि स्तर

प्रस्तावित खान क्षेत्र के आसपास में आठ स्थानों पर परिवेशी ध्वनि स्तर मापे गए। सभी आवासीय स्थानों में दिन के समय और रात के समय के ध्वनि स्तर अनुदेय सीमाओं के अंदर ही पाए गए।

3.7 पारिस्थितिकी पर्यावरण

संपूर्ण खान पट्टा क्षेत्र बैलाडीला आरक्षण वन क्षेत्र का अंग है। क्षेत्र अध्ययन एवं प्रकाशित साहित्य/सूचना के आधार पर पाया गया है कि कोर जोन में कोई संकटग्रस्त एवं संरक्षित पेड़पौधे एवं जीवजंतु नहीं है। बफर जोन में पाए गए स्तनधारी जानवरों में खरगोश, लकडबग्घा, लोमड़ी, लंगुर, बंदर, गिलहरी, जंगली सुअर, जंगली कुत्ता, जंगली चूहा, नेवला, घूस, बाघ, चीता, भालू, जंगली सियार, नीलगाय, भारतीय गाजेल्ला, सांभार, चीता आदि शामिल हैं। पाए गए कुछ स्तनधारी वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-I एवं अनुसूची-II के अंग है। तथापि, 10 कि.मी. की त्रिज्या में कोई वन्यप्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। एनएमडीसी ने वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार करने के लिए मेसर्स इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बयो सोशल रीसर्च डेवलपमेंट, कोलकाता अलग से अध्ययन कार्य सौंपा गया है, जोकि प्रगति पर है।

3.8 सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण

2001 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र (10कि.मी. की त्रिज्या में) में 52053 की आबादी निवासरत है। पुरुष कुल आबादी में लगभग 51.06% है और महिलाएं कुल आबादी में लगभग 48.94% हैं। औसत साक्षरता दर (72.37%) है।

4.0 प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव एवं निवारण उपाय

प्रस्तावित खनन परियोजना से संबद्ध गतिविधियों जैसे अयस्क का दलन, छनन के कारण संभावित पर्यावरणीय प्रभाव आकलित किए गए हैं और इन प्रभावों को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रबंधन योजना विकसित की गई है।

4.1 स्थलाकृति

बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप-4 निक्षेप-5 की उत्तर दिशा पर स्थित है और निक्षेप-3 की दक्षिण दिशा पर है, और यह क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ एवं असमतल स्थलाकृति प्रकृति का है। औसत समुद्र सतह से उठाव अधिकतम 1200-मी. और न्यूनतम औसत सतह से उठाव लगभग 996-मी. है। सामान्यतः अयस्क बॉडी गहरी पूर्वीय ढलान के साथ एनएनई-एसएसई प्रवृत्ति की है। घाटी में स्थित गल्ली नाला पानी पूर्ति का निरंतर स्रोत है।



भांसी, बघेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशायी सारांश

4.2 वायु गुणवत्ता

लौह अयस्क खानों के वायु प्रदूषण प्रभाव अयस्क उत्खनन की गहनता एवं परिवहन की विधि पर निर्भर करता है। प्रस्तावित सभी खनन प्रचालन पूर्ण यंत्रिकृत हैं और विद्युत/डीजल पर प्रचालित किए जाते हैं। खनन प्रचालनों के कारण भू-स्तर धूल सांद्रणों (एसपीएम) में अधिकतम वृद्धिगत मूल्यों का आकलन, कंप्यूटर साधित साफ्टवेयर के अनुमोदित मॉडलों (एईआरएमओडी तकनीक) द्वारा किया गया है और पाया गया है कि पर्यावरण प्रबंध योजना के प्रभावात्मक कार्यान्वयन के साथ कार्य क्षेत्र एवं पट्टे की परिसीमा के अंदर ही परिणाम संभावित है।

इन प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण उपाय जैसे पानी का छिड़काव, गहन पौधारोपण, वाहन व मशीनरी का नियमित अनुरक्षण और अच्छी गृह सज्जा व साफ सफाई आदि कार्य जारी रखे जाएंगे।

4.3 ध्वनि स्तर एवं भू-गर्भ प्रकंपन

खनन प्रचालनों के साथ, खान विकास के लिए मशीनरी, ड्रिलिंग व ब्लॉस्टिंग, लौह अयस्क के दलन व परिवहन लोगो के आवागमन के लिए यातायात आदि के कारण ध्वनि स्तरों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। तथापि, खान पट्टे की सीमा समीपवर्ती निवास स्थान से 3.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित होने के कारण अनुमानित ध्वनि स्तर जन समुदाय पर कोई गणनीय प्रभाव नहीं डालेंगे।

ब्लॉस्टिंग प्रचालन डिले डिटोनेटर्स के उपयोग के साथ गहरी छेद ड्रिलिंग व ब्लॉस्टिंग के प्रयोग करने का प्रस्ताव है जिससे भू-गर्भ प्रकंपन कम होंगे। आगे, अधुनातन डिले नॉन-इलेक्ट्रिक (नॉनैल) डिटोनेटर्स के साथ शॉक ट्यूब्स के प्रयोग के साथ भू-गर्भ प्रकंपनों को नियंत्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ईएमपी में दिए गए विभिन्न निवारण उपाय अपनाए जा रहे हैं और ये कार्य जारी रहेंगे। अतः, भू-गर्भ प्रकंपन निर्दिष्ट अधिकतम सीमाओं के अंदर ही होंगे।

4.4 जल संसाधन

हिलटॉप पर खान सड़कों तथा फीडर रोड्स पर छिड़काव, खनन संयंत्र में मिस्ट स्प्रे, सेवा केन्द्र, ऑटोशॉप, ग्रीनबेल्ट का विकास, खान में घरेलू प्रयोजनों आदि के लिए पानी की आवश्यकता होगी।

नमी तथा सूखे ऋतु में क्रमशः लगभग 14500 घन मीटर प्रति दिन और लगभग 4500 घनमीटर प्रति दिन पानी की आवश्यकता होगी। पानी के स्रोत के रूप में शंकिनी नाला तथा नेरली नाला को पहचाना गया है।



भांसी, बघेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशायी सारांश

चूंकि खनन गतिविधियां हिलटॉप तक ही प्रतिबंधित है जोकि झीलों से काफी उच्च स्तर पर है, अतः भूमिगत पानी तथा बारहमासी नालों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव प्रत्याशित नहीं है।

खान पट्टा क्षेत्र में कोई प्रमुख पानी के निकाय नहीं है। बैलाडीला सम्मिश्र से बहुत सारे नाले निकलते हैं। इन पानी निकायों में कोई प्रमुख जलचर प्रजाति मौजूद नहीं है। तूफानी जल के प्रवाह को रोकने के लिए चेक डेम तथा मालाकृत नलियों का निर्माण किया जाएगा। अपशिष्ट ढेरों से मृदा क्षरण के कारण बहाव को रोकने के लिए अपशिष्ट ढेरों के चारों ओर रिटेनिंग वॉल्स/ बट्रेस वाल्स बनाए जाएंगे। आगे, ओवरबर्डन ढेरों पर वृक्षारोपण के कारण मृदा क्षरण कम हो जाएगी।

वेट स्क्रीनिंग प्रचालनों के दौरान उत्पन्न अवपंक को प्रस्तावित 22 लाख टन क्षमती की टेलिंग डैम में स्लरी पाइपलाइन से भेजा जाएगा ताकि अवपंक नीचे की ओर जमा हो जाए और नीचे के नालों में स्वच्छ पानी का निकासी हो।

अतः, वर्तमान/प्रस्तावित खनन प्रचालनों के कारण जलीय स्रोतों पर कोई प्रभाव परिकल्पित नहीं है।

4.5 मृदा पर्यावरण

ऊपरी मृदा पर खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव, ऊपरी मृदा के हटाने की मात्रा एवं उसकी डंपिंग के आधार पर निर्भर हैं। वर्तमान परियोजना में, ऊपरी मृदा का भंडार अल्प अवधि व अस्थायी रूप से होगी और उसे पौधारोपण योजनाओं में उपयोग किया जाएगा, अतः, ऊपरी मृदा की डोजिंग से कोई प्रभाव परिकल्पित नहीं है।

4.6 पेड़पौधे एवं जीवजंतु

खान पट्टा क्षेत्र, आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत है। दंतेवाड़ा वन मंडल के वन अभिलेखों के अनुसार 10-कि.मी. की त्रिज्या में कोई वन्य प्राणी अभयारण एवं कोई वन कॉरिडार नहीं है।

खनन गतिविधि कोर जोन तक ही प्रतिबंधित है, प्रस्तावित लौह अयस्क के खनन के कारण बफर जोन के पेड़-पौधों पर कोई प्रभाव प्रत्याशित नहीं है।

खान पट्टा क्षेत्र का आधार क्षेत्र और ढलानों पर प्राकृतिक वनस्पतिक वृद्धि है, जिसमें मुख्यतः टैर्मिनलिया एसपी, अनोजीस्सेस लैटीफोलिया, बोसबेलिया सेरॉटे, आल्बीजिया मार्गैटा, डियोस्पिरोस मेलानोक्विजलॉन, गरुगा पिन्नाटा, माल्लोटस फिलिपिनेसिस एवं टैर्मिनलिया टोमेंटेस आदि शामिल है। समतल क्षेत्रों व खनन कार्यपलापों के आसपास के क्षेत्र में और ओवर बर्डन आदि का झाडीदार वानस्पतिक से आवृत्त(कवर) किया जाएगा। खान के आसपास ओवरबर्डन ढेरों पर वृक्षारोपण, समुचित वन प्रबंधन कार्य, और ग्रीनबेल्ट का विकास कार्य किए जा रहें हैं।



भांसी, बचेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशायी सारांश

खान स्थल के आसपास में प्रदूषण निरोधक वृक्षों को शामिल करते हुए गहन पौधारोपण किया जाएगा जो न केवल प्रदूषण रोधक का कार्य करेगा, बल्कि ध्वनि रोधक के रूप में भी कार्य करेगा। संभावित है कि इन निवारण उपायों के अपनाने से बैलाडीला लौह अयस्क काम्प्लेक्स के खानों के प्रचालन के कारण पार्थिव पारिस्थितिकी पर कम से कम प्रभाव पड़ेगा।

खनन प्रचालनों के कारण खान पट्टे की परिसीमा पर वृद्धिगत धूल निर्माण नगण्य है और आशंकित है कि ईएमपी में सुझावित निवारण उपायों के अपनाने के साथ, खान के प्रचालन के कारण पार्थिव पारिस्थितिकी तथा बाजू में स्थित वन क्षेत्र पर प्रभाव न्यूनतम होगा।

खनन गतिविधि के कारण बफर जोन के जीवजंतु पर प्रभाव कम से कम होगा। आने वाले समय में प्रस्तावित प्रगतिशील पौधारोपण से जीवजंतु पर संभावित प्रभाव को कम करेगा।

4.7 सामाजिक-आर्थिक पहल

प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र में प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। परियोजना से आसपास के क्षेत्रों में सहायक व संबद्ध लघु उद्योगों के विकास में वृद्धि आएगी।

एनएमडीसी अपने नैगम सामाजिक दायित्व(सीएसआर) कार्यकलापों द्वारा आसपास के क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सीएसआर के अंतर्गत भांसी गांव के विकास के लिए रु.555.940 लाखों के साथ सीएसआर कार्य किए जा रहे हैं।

5.0 पर्यावरण अनुवीक्षण कार्यक्रम

खान प्रचालन के दौरान पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील पर्यावरणीय प्राचलों के नियमित अनुवीक्षण का अत्यंत महत्व है। प्रस्तावित पर्यावरणीय अनुवीक्षण नीचे सारणी-5 में दिया गया है :

सारणी-5
पर्यावरणीय प्राचलों के लिए अनुवीक्षण कार्यक्रम

क्र.सं	विवरण	अनुवीक्षण की बारंबारिता	नमूनेकरण की अवधि	अनुवीक्षण प्राचल
1	वायु गुणवत्ता एवं मौसम विज्ञान			
	A	परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण		
		कोर एवं बफर जोन में कम से कम चार	मानसून ऋतु को छोड़ कर	24 घंटे निरंतर



भांसी, बचेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशायी सारांश

क्र.सं	विवरण		अनुवीक्षण की बारंबारिता	नमूनेकरण की अवधि	अनुवीक्षण प्राचल
		एएक्यूएम केन्द्र स्थापित किए जाने है।	सभी तीन ऋतुओं को सम्मिलित करते हुए चार सप्ताहों में प्रति सप्ताह दो बार		सीओ
	B	उड़ने वाले धूल अनुवीक्षण	महीने में एक बार	उड़ने वाले धूल स्रोत से 25.0 ± 2.0 मी. की दूरी पर प्रबल डाउनविंड दिशा में 24 घंटे अनुवीक्षण किया जाना है	विविक्त कण
	मौसम विज्ञान				
	a	मौसम वैज्ञानिक डाटा	घंटीय	निरंतर	हवा की गति, दिशा, तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता तथा वर्षापात
2	पानी तथा अपशिष्ट पानी की गुणवत्ता				
	A	औद्योगिक / घरेलू			
	1	कॉलोनी से मलजल उपचार संयंत्र	महीने में एक बार	24 घंटे संयोग	एसपीसीबी / सीपीसीबी दिशानिर्देश एवं / या ईसी स्थितियों के अनुसार
	B	अध्ययन क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता			
	1	भूमिगत पानी की गुणवत्ता	प्रत्येक ऋतु में एक बार	Grab	आईएस:10500 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राचल
	2	सतही पानी	प्रत्येक ऋतु में एक बार	Grab	आईएस:10500 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राचल
	3	पानी का प्रवाह	प्रत्येक ऋतु में एक बार	एक बार	एसपीसीबी / सीपीसीबी दिशानिर्देश एवं / या ईसी स्थितियों के अनुसार
	4	खान पट्टा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में कुएं या बोरेवेल्स या पीजोमीटर्स	प्रत्येक ऋतु में एक बार	एक समय	पानी के स्तर एवं पानी की गुणवत्ता
	5	खानपट्टा सीमा छोड़ने से पहले सभी प्रवाहों से झंझावतों के पानी	प्रत्येक ऋतु में एक बार	Grab sample	पीएच, टीडीएस, क्लोराइड, फ्लोराइड, एसओ ₄ , कठोरता, भारी धातु
3	औद्योगिक ध्वनि स्तर				
	1	प्रमुखतः ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत	प्रत्येक पाक्षिक	स्थल पर ध्वनि स्तर	ध्वनि स्तर डीबी(ए)



भांसी, बघेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशाली सारांश

क्र.सं	विवरण	अनुवीक्षण की बारंबारिता	नमूनेकरण की अवधि	अनुवीक्षण प्राचल
2	ब्लॉस्टिंग/ड्रिलिंग स्थल के पास	पाक्षिक	स्थल पर ध्वनि स्तर	ध्वनि स्तर डीबी(ए)
3	परिवहन ध्वनि स्तर के लिए खान सड़क के किनारे	पाक्षिक	स्थल पर ध्वनि स्तर	ध्वनि स्तर डीबी(ए)
परिवेशी ध्वनि स्तर				
	खान पट्टा क्षेत्रों के आसपास 10 स्थान	ऋतुवार	निरंतर 24 घंटे	ध्वनि स्तर डीबी(ए) - Ld, Ln, Ldn, Leq
4	मृदा लक्षण			
1	समीपवर्ती गांवों के कोर तथा बफर जोन में चयनित 4 स्थान	ऋतुवार	90-से.मी. तक ग्रैब नमूना	रंग, गठनात्मक श्रेणी, अनाज आकार, वितरण, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठोस सांद्रता, पोरोसिटी, इनफिल्ट्रेशन दर, नमी बनाए रखने की क्षमता, विलिंग को-एफीशिएंट, जैविक पदार्थ Na, N, K, PO ₄ , SO ₄ , SAR, Base Exchange Capacity, Pb, Cu, Zn, Cd, Fe.
2	प्रत्येक बाहरी ढेर से ओबी मृदा / ऊपरी मृदा	ऋतुवार	प्रत्येक ढेर से सम्मिश्र नमूना	भारी धातु

CTE - Consent to Establish, CTO - Consent to operate, EC - Environment Clearance

5.1 पर्यावरणीय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ

मेसर्स एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड पर्यावरणीय नियंत्रण उपायों के प्रबंध एवं कार्यान्वयन के साथ संबंध गतिविधियों के समन्वयन के लिए विभिन्न अनुभागों से अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक प्रत्येक विभाग का सृजन किया जाएगा।

6.0 व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य

व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य का, उत्पादकता एवं अच्छे नियोजक-नियोक्ता संबंधों से निकट संबंध होता है। लौह अयस्क खानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य के मुख्य तत्व हैं- धूल व ध्वनि। विस्फोटन के दौरान कर्मचारी की सुरक्षा, खनन उपकरणों के प्रचालन व अनुरक्षण और विस्फोटन सामग्री के निपटान आदि पर खान विनियमों के अनुसार विशेष ध्यान दिया जाता है। कर्मचारियों को वैयक्तिक संरक्षण उपकरण जैसे धूल मास्क, इयर प्लग/इयर मफ्स आदि प्रदान किए जाते हैं।



भांसी, बघेली के समीप, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 7.0 एमटीपीए बैलाडीला लौह अयस्क खान निक्षेप सं.4 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशाली सारांश

7.0 निष्कर्ष

- खनन प्रचालन, सीईसीबी/एमओईएफ की अनुपालन अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगे।
- क्षेत्र में पर्याप्त आर्थिक लाभ निर्माण होने के कारण सामुदायिक प्रभाव लाभप्रद होंगे।
- अधिक पर्यावरणीय हितैषी प्रक्रियाओं के साथ उत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकी एवं उत्तम प्रबंध प्रथाओं को अपनाना, एवं
- पर्यावरण प्रबंध योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ खनन गतिविधियों के दौरान प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी रहेंगी।

एनएमडीसी को अपनी 3 उत्पादन परियोजनाओं में पर्यावरण प्रबंध प्रणालियों (ईएमपी)के लिए आईएसओ-14001 : 2004 मान्यता प्राप्त है। एनएमडीसी ने पर्यावरण प्रबंध एवं सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए विभिन्न प्रतिष्ठात्मक पुरस्कार हासिल किए हैं।